

राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सेक्टर-26 प्रताप नगर, जयपुर-302033

क्रमांक:-प.1(प्रति-2)/न.क.नियु./7/पार्ट II/2013/3376-80

दिनांक:- 19/9/2017

कार्यालय आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(प्रति-2)/न.क. नियु./7/पार्ट II/2013/1924-33 दिनांक 06.07.2017 द्वारा राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 संशोधित नियम 2010 एवं संशोधित नियम 2013 के अन्तर्गत नर्स/कम्पाउन्डर जूनियर ग्रेड के पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 2/2013 दिनांक 16.08.2013 के अन्तर्गत विभागीय आदेश क्रमांक प.1(प्रति-2)/न.क.नियु./7/पार्ट II/2013/1921-23 दिनांक 06.07.2017 को जारी अनंतिम चयन सूची अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को दिनांक 24.07.2017 से 25.07.2017 तक अंकित दस्तावेज सत्यापन हेतु कार्यालय में अनिवार्यतः उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे।

क्र.सं.	नाम अभ्यर्थी मय पिता का नाम	श्रेणी	चयन सूची क्रमांक
1	सुरेश कुमार बिजारनियां पुत्र श्री मेघाराम	अनारक्षित संवर्ग	01
2	प्रेम पालीवाल पुत्री श्री मोती लाल	अनारक्षित संवर्ग	03
3	कृष्ण अवतार शर्मा पुत्र श्री महादेव प्रसाद शर्मा	अनारक्षित संवर्ग	55
4	लता पारीक पुत्री श्री राधेश्याम	अनारक्षित संवर्ग	59
5	माया कुमारी तिवारी पुत्री श्री बन्सीलाल तिवारी	अनारक्षित विधवा संवर्ग	63
6	महेन्द्र पुत्र श्री रामेश्वर	अनुसूचित जाति संवर्ग	08

उक्त सभी अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु उपस्थित नहीं हुये हैं। पुनः इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(प्रति-2)/न.क.नियु./7/पार्ट II/ 2013/2846-51 दिनांक 04.08.2017 के द्वारा उक्त संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु 05 दिवस में अनिवार्यतः कार्यालय समय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु उक्त अभ्यर्थियों के आज दिनांक तक भी अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने से होम्योपैथिक नर्स/कम्पाउन्डर जूनियर ग्रेड के पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 2/2013 दिनांक 16.08.2013 के अन्तर्गत इनकी अभ्यर्थिता (Candidature) को समाप्त किया जाता है।

महेन्द्र प्रकाश शर्मा
(महेन्द्र प्रकाश शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-प.1(प्रति-2)/न.क.नियु./7/पार्ट II/2015/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. कुलसचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर।
3. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट, निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग राज. जयपुर को दी जाकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. प्रभारी, विधि शाखा निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग राज. जयपुर।
5. संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ (रजिस्टर्ड पत्र से)
6. रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक